

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ -02(26.)खा.वि./स्था.प्र./1996/2026/04871 जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित दिनांक

कार्यालय आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ: 02 (8)खावि/स्था.प्र/1987-॥/00991 दिनांक 23.01.2026 के क्रम में श्री मोहन लाल देव, जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर आज दिनांक 31.07.2026 को मध्याह्न पश्चात राजकीय सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेणू मीणा)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. सहायक निदेशक सांख्यिकी, विभागीय भुगतान शाखा, खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. श्री मोहन लाल देव, जिला रसद अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
9. श्री शशि शेखर शर्मा, जिला रसद अधिकारी, (उपार्जन), खाद्य विभाग को प्रति भेज कर लेख है वह अपने कार्य के साथ— साथ जिला रसद अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) का कार्य भी सम्पादित करेंगे।
10. निजी पत्रावली श्री मोहन लाल देव, जिला रसद अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) खाद्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को प्रति भेज कर लेख है कि उक्त आदेशों को पोर्टल पर अपलोड करते हुये संबंधितों की एसएसओ आई.डी मैप किया जाना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by **Reeta Meena**
Designation: Assistant
Commissioner
Date: 2026.07.31 17:38:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23750764

M e-Sign

